

गैर-पीडीएस (सफेद) की खरीद के लिए केवायसी फार्म - समांतर विपणकर्ता

स्वयं सत्यापित फोटो लगाएं (पासपोर्ट आकार)



1. आवेदक की स्थिति : व्यक्तिगत / व्यक्तियों का एसोशिएशन/फर्म/कंपनी/संस्थान/आर्गनाइजेशन (निशान लगाए)
2. व्यक्तिगत/व्यक्तियों के एसोशिएशन के मामले में :
  - व्यक्ति/व्यक्तियों/एसोशिएशन का नाम
  - बी. पता (पते)
  - सी. फोन नंबर, ई-मेल आयडी
  - डी. पैन नंबर (सी)
  - सरकारी एजेंसी द्वारा दिए गए पहचान प्रमाण
  - एफ. पता (पते) का प्रमाण
3. फर्म का गठन :
4. पंजीकृत कार्यालय :
5. वर्तमान व्यवसाय का लोकेशन एवं पता :
6. प्रमोटर्स /निदेशकों/ भागीदारों/सोल प्रोप्राइटर का नाम एवं पता :
7. कंपनी तथा/अथवा कंपनी समूह, यदि कोई हो, द्वारा वर्तमान कर्मचारियों (गैर-पीडीएस एसकेओ के समांतर विपणन) का विवरण .
8. गैर-पीडीएस एसकेओ के भंडारण एवं निष्पादन तथा स्वीकृति/तदुपरांत लाइसेंस तथा पेट्रोलियम एवं प्रा कृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रस्तुत सूचना का विवरण ।
9. बिक्री कर (वैट/सीएसटी)/केंद्रीय उत्पाद शुल्क का पंजीकरण का विवरण :
10. प्रतिमाह आवश्यक अनुमानित मात्रा (किलो) :

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि उपर दिए गए विवरण मेरे/हमारे सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं विश्वास के अनुरूप सत्य है ।

दिनांक :

स्थान:

---

 (हस्ताक्षर एवं मुहर / सील)

(\* कृपया, मद 2 (डी/ई/एफ)/3/4/5/6/7/8/9, के संबंध में यथा लागू स्वयं सत्यापित प्रतियां संलग्न करें।)